

उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोज़गार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग
संख्या: 1494/69-1-97-68 एनआर.वाई./94 टीसी
लखनऊ दिनांक, 3 अक्टूबर, 1997

कार्यालय ज्ञाप

पूर्व में निर्गत शासनादेश सं.-229 ए/9-7-5 एन आर वाई/92 दिनांक, 16 जून, 1995 को निरस्त करते हुए अर्बन बेसिक सर्विसेज फार दी पुअर के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता उपलब्ध कराये जाने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देश अक्टूबर, 1995 के प्रस्तर-7 के तहत श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत राज्य स्तरीय समिति गठित किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

1— प्रमुख सचिव, नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र. शासन। एवं अध्यक्ष राज्य नागर विकास अभिकरण उ.प्र. शासन	अध्यक्ष।
2— सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य।
3— सचिव/निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य।
4— सचिव/निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य।
5— सचिव/निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. शासन	सदस्य।
6— सचिव/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य।
7— परियोजना अधिकारी, यूनीसेफ, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	सदस्य।
8— निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ	सदस्य सचिव।

2— उपरोक्तानुसार गठित राज्य स्तरीय समिति संस्तुत कर्ती समिति होगी जो यू.बी.एस.पी. योजना के विहित धनराशि को गैर सरकारी संगठनों के प्रोजेक्ट के संबंध में अपनी संस्तुतियां अध्यक्ष सूडा/प्रमुख सचिव, नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

3— मण्डलायुक्त द्वारा पूर्व में चली आ रही प्रक्रिया जिसके अनुसार वह गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संस्थाओं को रु.3.00 लाख तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते थे, अब भारत सरकार से प्राप्त नये दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त राज्य स्तरीय समिति को गठन के उपरान्त मण्डलायुक्तों के स्तर से प्रदान की जा रही स्वीकृतियों से संबंधित शासनादेश भी स्वतः निरस्त हो जायेगा और अब गैर सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता उपलब्ध कराये जाने के अधिकार केवल राज्य स्तरीय समिति में निहित होंगे।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

भवदीय,

(सुबोध नाथ ज्ञा)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1— सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
- 2— सचिव/निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, उ.प्र. शासन।
- 3— सचिव/निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।
- 4— सचिव/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
- 5— सचिव/निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. शासन।
- 6— परियोजना अधिकारी, यूनीसेफ, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
- 7— निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ।
- 8— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9— समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, उत्तर प्रदेश।
- 10— संबंधित जनपदों के परियोजना निदेशक/अपर परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 11— अपर निदेशक, रीजनल सेंटर फार अर्बन एण्ड इन्वायरेन्मेन्टल स्टडीज, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 12— समस्त अपर आयुक्त (प्रशासन) अपर निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, मण्डलायुक्त कार्यालय, उ.प्र.।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौँडियाल)
संयुक्त सचिव।